आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ

सारण समाहरणालय, छपरा।
न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।
जिला विधि प्रशाखा
आंगनबाड़ी वाद सं0 2/2011
किरण कुमारी बनाम बेबी देवी एवं अन्य

आदेश

19/1/2013

इस मामले की सुनवाई दोनों पक्षों की उपस्थिति में की गयी। परिवादकर्त्ता का पक्ष है कि बाल विकास परियोजना, सदर, के आंगनबाड़ी केन्द्र सं0 106 पर पिछड़ी जातियों की बहुलता थी और चयन के लिए तैयार मेधा सूची में पिछड़ी जाति की श्रेणी में उनका स्थान प्रथम था। फिर भी उक्त केन्द्र पर विपक्षी बेबी देवी का चयन किया गया, जो अति पिछड़ा वर्ग श्रेणी से आती है।

अपना पक्ष रखते हुए बेबी देवी ने कहा कि यदि यह मान भी लिया जाए कि केन्द्र की बहुलता चयन के लिए एक महत्वपूर्ण अर्हता है, तब भी अति पिछड़ी जाति की होने के कारण उसे पिछड़ी जाति का भी मानना चाहिए।

दूसरी ओर अपने प्रतिवेदन ज्ञापांक 20 दिनांक 17/01/2013 के द्वारा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने कहा कि इस केन्द्र के लिए चयन की प्रकिया 2010 की मार्गदर्शिका के दस दिन पूर्व शुरू की गयी और इसलिए उसी के अनुरूप चयन होना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट कहा कि मेधा सूची तैयार करने वाले किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का हस्ताक्षर मेधा सूची पर नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों पर विचार करने और साक्ष्यों के अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि चयन 2010 के मार्गदर्शिका के लागू होने के बाद किया गया और इसलिए पुरानी मार्गदर्शिका के लागू करने का कोई कारण नहीं है। सरकार की आरक्षण नियमावली में पिछड़ी जाति और अति पिछड़ी जाति अलग-अलग Exclusive श्रेणियाँ हैं और इसलिए अति पिछड़ी जाति के किसी सदस्य को पिछड़ी जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। स्पष्टतः सेविका के चयन में बहुलता के प्रश्न को नजरअंदाज किया गया है, जो गैर-कानूनी है। दूसरी ओर 2010 की मार्गदर्शिका लागू होने के बाद भी बिना किसी सक्षम प्राधिकार की अनुमति के पुरानी मार्गदर्शिका के अनुसार चयन प्रकिया को जारी रखना और अभिलेखों पर हस्ताक्षर नहीं करना तत्कालीन बाल

19/1/13

विकास परियोजना पदाधिकारी की कर्त्तव्यहीनता है।

उपरोक्त परिस्थिति में केन्द्र पर किए गए चयन को निरस्त किया जाता है और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे नए सिरे से प्रश्नगत केन्द्र पर सेविका के चयन की कार्रवाई एक माह के भीतर पूर्ण करें। साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को कारणपृच्छा करें कि इन्होंने किस परिस्थिति में इस प्रकार की चयन प्रकिया पूरी की।

लेखापित एवं संशोधित
9/1/13
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

15/1/13
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 235 / विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि - जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, छपरा एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सदर, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश का अनुपालन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि - एन० आई० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश को जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।
29/01/13